

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या - 41


दिनांक - 26.08.2019

प्रश्नकर्ता - श्री पंकज पुश्कर

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों की अधिकतम संख्या निश्चित है	जी हाँ।
(ख)	यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्ड क्या है	वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता- <ul style="list-style-type: none">• आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।• प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी हो।• परिवार की आय 1 लाख रू० वार्षिक से अधिक न हो।• प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(ग)	क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत वंचितों की तुलना में इस योजना के अन्तर्गत अधिक जरूरतमंद लाभ प्राप्त करें	पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत (Sanction) किये जाते हैं।
(घ)	यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए?	उपरोक्त (ग) के अनुसार।
(ङ)	क्या विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इस पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए	किसी भी आवेदक को प्राथमिकता/प्रधानता देने की विभाग की नीति नहीं है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण होने पर आवेदन स्वीकृत (Sanction) किये जाते हैं।
(च)	यदि हां, तो इसका विवरण दीजिए और	उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं होता।
(छ)	यदि नहीं, तो कारण बताइये?	उपरोक्त (ङ) के अनुसार।

*With the prior approval of
Competent Authority.*


SHILPA SHINDE, IAS
Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002